रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1973/आषाढ़ 5, 1895

No. 230] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1973/ASADHA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE, GUNTUR

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISE

Guntur, the 11th May 1973

S.O. 355(E).—In exercise of the powers conferred on me, under Rule 233 of the Central Excise Rules, 1944, I hereby direct, that the manufacturers of "Matches" in Guntur Collectorate shall hereafter maintain a separate daily account of raw materials, namely, splints and veeners sulphur and potassium chlorate used in the manufacture of matches in the enclosed form.

2. The assesses to whom this Notification applies are also hereby directed to furnish a quarterly return under Rule 55 of the Central Excise Rules, 1944, by the 10th following the quarter, to the Central Excise Range Officer concerned with a copy to the Assistant Collector of Central Excise concerned.

DAILY ACCOUNT OF RAW MATERIALS FOR THE MANUFACTURE OF MATCHES.

Name and address of the factory :

Description of raw material :

Date	Opening balance	Invoice No. and date	Name of consignor	Quantity received	Total
1	2	3	4	5	6

Quantity used in the manufacture of		Quantity otherwise disposed of		Quantity wasted or destroyed	Closing balance
Matches	Other goods	Nature of the disposal	Quantity		
7	8	9	10	11	12

Quantity of matches manufactured	Quantity of other goods manufactured	Remarks	Signature of the assessee or his Agent
13	14	15	16

Total for the month :

NOTE.—1. Separate Registers should be maintained in respect of each raw materials.

2. If any raw material is used for more than one excisable goods (falling under different tariff items) or other goods manufactured, quantity used for each of such goods should be shown separately along with description of such goods by suitably sub-dividing columns 5 and 6.

[No.2/73-Central Excise.]

A. S. I. JAFFAR,
Collector

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुन्टूर

अधिसूचना

गुन्टूर, 11 मई, 1973

एस०ओ० 355(अ).—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 233वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वार , गुन्टुर समाहर्तालय के माचिस के निर्माताओं को एतद् पश्चात् माचिस के अभिनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली खपच्ची, वीनर, सल्फर, पोटाशियम क्लोरेट आदि कच्ची सामग्रियों के सम्बंध में, संलग्न प्ररूप में दैनिक लेखा रखने का निदेश देता हूं ।

2. ऐसे करदाता, जिन पर यह अधिसूचना लागू होती है, 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 55वें नियम के अधीन, एतद्द्वारा, तिमाही विवरणी, तिमाही समाप्त होने के आगामी मास की 10 तारीख तक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बंधित रेंज अधिकारी को प्रस्तुत करने का निदेश दिया जाता है । इसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सम्बन्धित सहायक समाहर्ता को भी प्रेषित की जायेगी ।

माचिस के अभिनिर्माण में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री का दैनिक लेखा

कारखाने का नाम व पता :

कच्ची सामग्री का अभिवर्णन :

तिथि	प्रतिशेष	बीजक की संख्या व तिथि	परेषक का नाम	प्राप्त की गई मात्रा	जोड़
1	2	3	4	5	6

अभिनिर्माण में प्रयुक्त मात्रा		अन्यथा विपरायी गई मात्रा		नष्ट व बरबाद की मात्रा	अन्त शेष
माचिस	अन्य वस्तुएं	निपटान का स्वरूप	मात्रा		
7	8	9	10	11	12

अभिनिर्मित माचिस की मात्रा	अन्य प्रकार की अभिनिर्मित वस्तुओं की मात्रा	अभ्युक्तियां	करदाता या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर
13	14	15	16

मासिक जोड़ :—

नोट :—1. प्रत्येक प्रकार की कच्ची सामग्री की बाबत पृथक रजिस्टर रखा जाएगा।

2. यदि एक ही प्रकार की कच्ची सामग्री का प्रयोग (विभिन्न टैरिफ मद के अन्तर्गत आने वाली) एक से अधिक उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं या अन्य वस्तुओं के अधिनिर्माण में किया जाता है तो स्तंभ 5 व 6 को उचित रूप से उपविभाजित करके इन वस्तुओं के अभिनिर्माण में प्रयोग की गई (कच्ची सामग्री की) मात्रा इन वस्तुओं के अभिवर्णन के सामने दिखाई जानी चाहिए।

[सं० 2/73-केन्द्रीय उत्पाद]

ए० एम० आई० जाफर, समाहर्ता।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973